

एक परिवार, एक पहचान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रत्येक परिवार को 'परिवार पहचान-पत्र' जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक परिवार को सरकारी लाभ तथा कम-से-कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिये परिवार पहचान-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

मुख्य बंदि:

- "एक परिवार, एक पहचान" योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को एक वशिष्ट पहचान-पत्र प्राप्त होता है, जिससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार होता है।
- यह डेटाबेस **लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के प्रबंधन**, समय पर लक्ष्य निर्धारण, पारदर्शी संचालन में सुधार करेगा और पहुँच को सरल बनाकर पात्र लोगों तक योजनाओं का 100% वितरण सुनिश्चित करेगा।
 - उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवारों के लगभग 15.07 करोड़ लोग **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** से लाभान्वित हो रहे हैं, जो अपने **राशन कार्ड** नंबर को अपने परिवार पहचान-पत्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
 - राशन कार्ड वहीन 1 लाख से अधिक परिवारों को परिवार पहचान-पत्र जारी किये गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- **अधिसूचि:** 10 सितंबर, 2013
- **उद्देश्य**
 - इसका उद्देश्य एक गरमिपूरण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूरण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना है।
- **कवरेज**
 - **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के तहत रयियती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हसिसे को कवर करता है।
- **पात्रता:**
 - राज्य सरकार के दशिया-नरिदेशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमकिता वाले घर।
 - **अंत्योदय अन्न योजना** के तहत कवर किये गए घर।
- **प्रावधान:**
 - **प्रतमाह प्रतविकृति 5 कलिोग्राम खाद्यान्न**, जिसमें चावल 3 रुपए कलिो, गेहूँ 2 रुपए कलिो और मोटा अनाज 1 रुपए कलिो।
 - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत **मौजूदा प्रतमाह प्रतपरिवार 35 कलिोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।**
 - **ग्रभवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं** को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
 - **14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।**
 - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
 - ज़िला और राज्य स्तर पर **शकियात नविवरण तंत्र स्थापति करना।**

